परिपत्र संख्याः--डीजी- 60 / 2015

जगमोहन यादव,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ-226001
दिनांकः अगस्त 19 ,2015

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अनेक प्रकरणों में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध सम्मन/वारन्ट निर्गत किये जाते हैं तथा इन सम्मन/वारन्टों के तामीला में विलम्ब होने पर मा0 न्यायालय द्वारा इस मुख्यालय को भी कई बार पत्र प्रेषित किये जाते हैं, जिस पर समयबद्ध कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया जाता है। कई दृष्टांत ऐसे प्रकाश में आये है जिसमें इस मुख्यालय द्वारा अभियुक्त/गवाह पुलिस कर्मियों के विरूद्ध समयबद्ध कार्यवाही हेतु संबंधित जनपदों को निर्देश दिये गये थे, किन्तु स्पष्ट निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी संबंधित जनपदों द्वारा ऐसे पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही नही की गयी। ऐसे कई प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को तलब कर लिया जाता है। यह आवश्यक है कि ऐसे पुलिस कर्मियों के प्रकरणों में,जिनके विरूद्ध सम्मन/वारन्ट लम्बित हों, समय से कार्यवाही जनपद स्तर से की जानी चाहिए ताकि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अनावश्यक रूप से मा0 न्यायालय के समक्ष अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े।

2. इस सम्बंध में निर्देशित किया जाता है कि समस्त जनपदीय पुलिस अधीक्षक प्रत्येक माह अयोजित होने वाली अपनी-अपनी क्राइम मीटिंग में पुलिस कर्मियों के विरूद्ध अपने-अपने जनपद के मा0 न्यायालय से निर्गत एवं गैर-जनपदों के न्यायालय से प्राप्त सम्मन/वारन्ट के तामीला की कार्यवाही की समीक्षा कर उनका समयबद्ध निस्तारण कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक को प्रत्येक माह के अन्त में संलग्न "प्रारूप-"अ" एवं "ब" में प्रेषित करेगें। परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक जनपद एवं परिक्षेत्र से प्राप्त सूचनाओं की प्रत्येक माह समीक्षा अपनी-अपनी क्राइम मीटिंग में व्यक्तिगत रूचि लेकर करेगें एवं प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करेगें। किसी प्रकरण में किसी भी स्तर पर शिथिलता परिलक्षित होने पर अपने स्तर से उचित सहयोग प्रदान करेगें एवं आवश्यकतानुसार दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगें। इस समस्त कार्यवाही के लिए समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षकों को

---2

नोडल अधिकारी बनाया जाता है, जो जोन स्तर पर सूचनाओं का संकलन एवं समीक्षा के बाद उक्त सूचना मय टिप्पणी इस मुख्यालय को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रेषित करेगें। मुख्यालय स्तर पर उक्त सूचना का रख–रखाव विधि प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक माह प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा एवं उनका अनुश्रवण अपर पुलिस अधीक्षक(विधि प्रकोष्ठ) द्वारा किया जायेगा, जिनके द्वारा उचित माध्यम से प्राप्त सूचनायें मेरे अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी और दिशा–निर्देश प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करेगें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(जगमोहन यादव) 19/8/15

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक/
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।

प्रारूप-"अ"

पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध निर्गत होने वाले अर्न्तजनपदीय सम्मन/वारन्टों की तामीला का विवरण ।

क्र0सं0	जनपद का नाम	मा0 न्यायालय का नाम	पुलिस अधि0/कर्म0 का नाम, पद व नियुक्ति का स्थान जिसके विरूद्ध सम्मन/वारन्ट एवं दं0प्र0सं0 की कार्यवाही लम्बित है।	तामील किये जाने का दिनॉक	तामील न हो पाने का कारण	तामील किये जाने हेतु किये गये प्रयासों का विवरण।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रारूप-"ब"

पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध निर्गत होने वाले बाहरी जनपदों के सम्मन/वारन्टों की तामीला का विवरण ।

क्र0सं0	जनपद का नाम	मा0 न्यायालय का नाम/ जनपद	पुलिस अधि0/कर्म0 का नाम, पद व नियुक्ति का स्थान जिसके विरूद्ध सम्मन/वारन्ट एवं दं0प्र0सं0 की कार्यवाही लम्बित है।	तामील किये जाने का दिनॉक	तामील न हो पाया हो तो उसका कारण	तामील किये जाने हेतु किये गये प्रयासों का विवरण।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8